



09414408726 (M)
yadavdk71@gmail.com
incharge.arss.gonera@sknau.ac.in

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर) गोनेड़ा-कोटपूतली जिला-जयपुर (राज.)

क्रमांक / कृ.अ.उ.के. / के.टी.पी. / 2016 / 32-39

दिनांक 31.05.2016

सीमित निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस केन्द्र पर फार्म की सुरक्षा (दिन रात की चौकीदारी) व केन्द्र पर कृषि कार्य हेतु मजदूर आपूर्ति के लिए दिनांक 17.05.2016 को दोपहर 1.0 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 18.05.2016 को दोपहर 12.00 बजे उपस्थित कमेटी द्वारा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में खोली जावेगी।

निविदा प्रपत्र व शर्तों की जानकारी कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र के साथ रुपये एक हजार मात्र धरोहर राशी जमा करानी होगी। निविदा को बिना कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार कमेटी का होगा।

प्रतिलिपी:-

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
2. श्रीमान् चैयरमैन, टैप कमेटी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
3. इंचार्ज,सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर से अनुरोध है कि इस निविदा का विवरण वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड कर प्रसार करने का श्रम करावें।
4. सूचना पट्ट, कार्यालय
5. सूचना पट्ट, पंचायत समिति,कोटपूतली
6. सूचना पट्ट, ग्राम पंचायत गोनेड़ा
7. सूचना पट्ट, ग्राम पंचायत पनियाला
8. आरक्षित प्रति

1.

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र
गोनेड़ा-कोटपूतली
जिला-जयपुर

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेड़ा-कोटपूतली जिला-जयपुर
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,जोबनेर)

निविदा क्रमांक: /कृ.अ.उ.के./के.टी.पी./2016/

दिनांक 31.05..2016

कार्य का नाम : फार्म की सुरक्षा (चौकीदारी) कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेड़ा-कोटपूतली
कार्य की अनुमानित अवधि: 01 जूलाई 2016 से 30 जून 2017
धरोहर राशी: रु 1000.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित दर (अधिकतम)	निविदादाता द्वारा मांगी गई दर	हस्ताक्षर
	आवारा जानवरों, अवांछित लोगो से फार्म सुरक्षा (दिन व रात की)	8000/-प्रति माह		

निविदा शर्तें:

1. फार्म पर किसी प्रकार के सामान की चौराई होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी और उसका पूरा मूल्य निविदादाता को चुकाना होगा।
2. निविदादाता को सुबह व सांयकाल को कार्यालय में रिपोर्ट देनी होगी।
3. निविदादाता द्वारा फार्म की अन्य अवांछनीय अथवा अवैध गतिविधियों में संलग्न होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी को होगा एवं धरोहर व अन्य बकाया राशी जब्त कर ली जावेगी।
4. फार्म पर कृषि कार्यो के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने,सांप काटने, बिजली से या अन्य किसी अपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
5. प्रथम वरीयता पार्टी द्वारा कार्य नहीं सम्भालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता प्राप्त पार्टी को कार्य का आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता दे सकेंगे।
6. निविदादाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।
7. सफल निविदाता को दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर अनुबन्ध देना होगा।
8. जमा राशी पर ब्याज देय नहीं होगा।
9. सभी कार्य प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करने होंगे।
10. आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी कार्यालय द्वारा कोई सुविधा दे नहीं होगी।
11. निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
12. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश निविदादाता को बाध्य होंगे।
13. अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी।

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र
गोनेड़ा-कोटपूतली
जिला-जयपुर

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेडा-कोटपूतली जिला-जयपुर
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,जोबनेर)

निविदा क्रमांक: /कृ.अ.उ.के./के.टी.पी./2016/

दिनांक 31.05.2016

कार्य का नाम : केन्द्र पर कृषि कार्य हेतु मजदूर आपूर्ति के लिए
कार्य की अनुमानित अवधि: 01 जूलाई 2016 से 30 जून 2017
धरोहर राशी: रु 1000.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित दर (न्यूनतम) सरकारी दर	निविदादाता द्वारा मांगी गई दर	हस्ताक्षर
1.	कृषि कार्य के लिए/बीज भण्डार/ट्रायलों की निराई-गुड़ाई/कृषि रसायनों का छिड़काव, भूरकाव, थ्रेसिंग एव अन्य कार्य	189 /-प्रति मजदूर प्रति आठ घंटे		

निविदा शर्तें:

1. मजदूर मांग के अनुसार निविदादाता को तुरन्त उपलब्ध करवाने होंगे।
2. मजदूर आपूर्ति समय पर नहीं होने पर पिछला भुगतान देय नहीं होगा व धरोहर राशी जब्त कर ली जावेगी।
3. निविदादाता द्वारा फार्म की अन्य अवांछनीय अथवा अवैध गतिविधियों में संलग्न होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी को होगा।
4. फार्म पर कृषि कार्यों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने,सांप काटने, बिजली से या अन्य किसी अपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
5. प्रथम वरीयता पार्टी द्वारा कार्य नहीं सम्भालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता प्राप्त पार्टी को कार्य का आदेश अधोहस्ताक्षरकर्ता दे सकेंगे।
6. निविदादाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।
7. सफल निविदाता को दस रुपये के नॉन ज्यूडिषियल स्टांप पेपर पर अनुबन्ध देना होगा।
8. जमा राशी पर ब्याज देय नहीं होगा।
9. सभी कार्य प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करने होंगे।
10. आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी कार्यालय द्वारा कोई सुविधा दे नहीं होगी।
11. निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
12. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश निविदादाता को बाध्य होंगे।
13. अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी।
14. निविदादाता श्रमिकों को राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में निर्धारित से कम दर का भुगतान नहीं करेगा।
15. निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई. एवं पी.एफ. वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टेक्स आदि राज्य सरकार के नियमानुसार देय हाने पर समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
16. निविदादाता का रजिस्ट्रेशन पंजियन श्रम विभाग राजस्थान में होना चाहिए।

प्रभारी अधिकारी
कृषि अनुसंधान उप केन्द्र
गोनेडा-कोटपूतली
जिला-जयपुर